



सवाल नं० - 102 रुपये - 80

न्यायालय उपरिलिपि व्यक्तार्थी कागजत

वाट सर्हो - 25 सं 1996

सन्त गोपीनाथ सेक्रेटेन्ट राष्ट्र वेलेपर सोलाई
बगीचा

ग्राम समा उर्म-कुर्म

अन्तर्गत धारा 143 तो प्र० अ० वि० आदित्यनाथ

ग्राम उर्म-कुर्म तहसील अंगामी

जोन५ जान५



न्यायालय उपजिलाधिकारी बागपत

बाद संख्या - 25

सन् 1996 ई०

सन्त गोपीचन्द्र ऐजूकेशन एण्ड वैलफेयर सोसाइटी, अहैडा द्वारा प्रबंधक जयकरण पुत्र गोपीचन्द्र ।

बनाम

ग्राम समा हरचन्दपुर द्वारा ग्राम प्रधान हरचन्दपुर परगना व तहसील बागपत, जनपद बागपत।

अन्तर्गत धारा 143 उ० प्र० ज० वि० अधिनियम मौजा हरचन्दपुर तहसील बागपत जनपद बागपत।

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत। तह० की आख्या दि० 28-10-1996 के अनुसार खसरा नम्बर 196 रकबा 0.638 है०, खसरा नम्बर 202 रकबा 0.308 है०, खसरा नम्बर 203 रकबा 0.182 है०, खसरा नम्बर 204 रकबा 0.203 है०, तथा खसरा नम्बर 207 रकबा 0.819 है०, कुल नम्बरान 5 रकबई 2.150 है० लगान 96 रुपये सालाना स्थित मौजा हरचन्दपुर में वादी कृषि कार्य बन्द करके कालेज बनाना चाहता है। वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उक्त भूमि को धारा 143 उ० प्र० ज० वि० अधिनियम के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित कराने का अनुरोध किया गया है।

अतः तहसील की आख्या दि० 28-10-1996 तथा वादी के प्रार्थना पत्र के आधार पर खसरा नम्बर 196 रकबा 0.638 है०, खसरा नम्बर 202 रकबा 0.308 है०, खसरा नम्बर 203 रकबा 0.182 है०, खसरा नम्बर 204 रकबा 0.203 है०, तथा खसरा नम्बर 207 रकबा 0.819 है०, कुल नम्बरान 5 रकबई 2.150 है० लगान 96 रुपये स्थित मौजा हरचन्दपुर पर वादी कृषि कार्य बन्द करके कालेज बनाना चाहता है। इसलिये उक्त भूमि को धारा 143 उ० प्र० ज० वि० अधिनियम के अन्तर्गत भू० राजस्व से मुक्त कर अकृषिक घोषित किया जाता है। तदनुसार परवाना अमल दरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति उपनिबंधक बागपत के कार्यालय में भेजी जाये। वाद आ० का० पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

कोमत टिकट..... 12-50
 तिथि प्रार्थना पत्र 28-10-96
 तिथि नोटिस..... X
 तिथि देने को 29-10-96
 हस्ताक्षर.....



सत्य प्रतिलिपि

दिनांक.....
 29-10-96